न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 28/2023

अनवान : –

1. पराक्रम पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. पंकज कुमार पुत्र परमेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. सोनू शर्मा पुत्र परमेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. परमेश्वरलाल पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र मंगलाराम उर्फ उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. विमला पत्नी मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. कौशल्या पुत्री मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 11/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 209/198 के ख0न0 539 की 1.6950 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 540 की 6.9550 हैक्ट भूमि कुल 8.6500 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके संयुक्त तौर से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/14, 1/14 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 210/199 के ख0न0 538 की 7.9040 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/14, 1/14 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/84, 1/84 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 208/197 की कुल 40.2910 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 25/2016 हिस्से के खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है एवं रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 390/65527 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 60/61 की कुल 6.5780 हैक भूमि जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 235/13456 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जिसमे नारायणी पुत्री भैराराम जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर 1645/13156 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार थी।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द के नाम दर्ज थी तथा वादीगण के दादा मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के नाम वादग्रस्त भूमि विरासतन दर्ज हुई है।

उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है इसलिए वादीगण अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 जो की वादीगण की बुआ है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की बहिन है ने अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। नारायणी देवी पुत्री भैराराम जो कि वादीगण के दादा की बहिन थी ने खाता संख्या 61 के मु0न0 77, 80 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 1645/13156 हिस्सा भूमि की वसीयत अपने जीवन काल में 1/1 हिस्सा भूमि की वादी संख्या 1 के पक्ष में एवं वादीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में 1/4 हिस्सा भूमी की वसीयत अपने जीवनकाल में ही करवा दी थी। नारायणी देवी दिनांक 11.10.2021 को फौत हो चुकी है। उनकी फौतदगी के बाद मुताबिक वसीयत वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 209/198 की कुल 8.6500 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/8 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 210/199 की कुल 7.9040 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सख्या 208/197 की कुल 40.2910 हैक्ट भूमि मं संयुक्त रूप से वादी स0. 1 अकेला 25/1152 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 25/1152 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 25/1152 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 25/1152 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/48 हिस्सा, वादीगण संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व 3 बहिब 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/48 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/71 की कुल 22.0110 हैक्ट भूमि मे वादी संख्या 1 अकेला 3057/293480 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 3057/293480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 3057/293480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 3057/293480 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 60/61 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1645/56624 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1645/56624 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1645/56624 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1645/56624 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 12 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 195/18722 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 195/18722 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 195/18722 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 195/18722 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 60/61 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में नाराणी देवी पुत्री भैरूराम के नाम दर्ज 1645/13156 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 143/138 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि मं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का हिस्सा यथावत रहेगा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073-76 रोही मौजा बडबिराना खाता संख्या 209/198, खाता सं0 208/197, खाता संख्या 143/138 प्रदर्श 1 ता 3, रोही मौजा 6 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-78 खाता संख्या 46/46

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रदर्श–4, रोही मौजा 12 जीजीएम जमाबंदी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 37/37 प्रदर्श'–5, रोही मौजा 5 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 73/71 खाता संख्या 60/61 प्रदर्श–6 ता 7, मूल वसीयत प्रदर्श– 8 वसीयत की चित्रप्रति प्रदर्श–8 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र नारायणी देवी प्रदर्श–9, सरपंच ग्राम पंचायत बडबिराना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–10, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–11 आदि प्रदर्शित करवाये। वसीयत के संबंध में गवाह श्री भूपसिंह पुत्र आईदान जाति जाट व तरसेम कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण जाति ब्राहमण ने अपने बयान तस्दीक करवाये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि के जिन खातों पर सक्षम न्यायालय के स्थगन है उन खातों को छोड़कर जिन खातों पर स्थगन नही है उनको डिक्री फरमावें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 209/198 के ख0न0 539 की 1.6950 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 540 की 6. 9550 हैक्ट भूमि कुल 8.6500 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके संयुक्त तौर से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/14, 1/14 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/84, 1/84 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 390/65527 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 60/61 की कुल 6.5780 हैक भूमि जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 235/13456 हिस्सा के एवं नारायणी पुत्री भैराराम जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर 1645/13156 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया दिया है। उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है। खाता संख्या 61 के मु0न0 77, 80 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 1645/13156 हिस्सा भूमि नारायणी के नाम दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 9 से साबित है कि नारायणी फौत हो चुकी है एवं प्रदर्श–8 से साबित है कि नारायणी ने अपने हिस्से की भूमि में से 1/4 हिस्सा वादी एवं 1/4 हिस्सा की वादीगण संख्या 2 व 3 के बहिब, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 4 तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में वसीयत तहरीर करवाई है। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहों श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री लिछमण व श्री भूपसिंह पुत्र श्री आईदान ने सशपथ बयान किये की उक्त वसीयत सही है तथा वसीयतकर्ता ने हमारे सामने उक्त वसीयत पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अनुसार मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 209/198 की कुल 8.6500 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/48 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/48 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/71 की कुल 22.0110 हैक्ट भूमि मे वादी संख्या 1 अकेला 3057/293480 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 3057/293480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 3057/293480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 3057/293480 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 60/61 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1645/52624 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1645/52624 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1645/52624 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1645/52624 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा चक 12 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 195/18722 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 195/18722 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 195/18722 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 195/18722 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 60/61 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में नारायणी देवी पुत्री भैरूराम के नाम दर्ज 1645/13156 हिस्सा भूमि में नारायणी देवी पुत्री भैरूराम का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 143/138 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि मं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का हिस्सा यथावत रहेगा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 नाम कलमजन किया जाता है एवं खाता संख्या इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...11/10/23... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 28/2023

अनवान : –

1. पराक्रम पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. पंकज कुमार पुत्र परमेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. सोनू शर्मा पुत्र परमेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. परमेश्वरलाल पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र मंगलाराम उर्फ उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. विमला पत्नी मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. कौशल्या पुत्री मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 28 सन 2023 निर्णय दिनांक 11/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 209/198 की कुल 8.6500 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 46/46 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/48 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/48 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/71 की कुल 22.0110 हैक्ट भूमि मे वादी संख्या 1 अकेला 3057/293480 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 3057/293480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 3057/293480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 3057/293480 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 60/61 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1645/52624 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1645/52624 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1645/52624 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1645/52624 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा चक 12 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 195/18722 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 195/18722 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 195/18722 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 195/18722 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 60/61 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में नारायणी देवी पुत्री भैरूराम के नाम दर्ज 1645/13156 हिस्सा भूमि में नारायणी देवी पुत्री भैरूराम का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 व 3 बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 143/138 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि मं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का हिस्सा यथावत रहेगा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 नाम कलमजन किया जाता है एवं खाता संख्या इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर